

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग


// अधिसूचना //

शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 06/07/2021

फा0कमांक 2410/21-ब(एक), राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2410/21-ब(एक) दिनांक 02-05.07.2021 की पंक्ति क्र. 12 में Madhya Pradesh Legal Service Authority के स्थान पर "Madhya Pradesh State Legal Service Authority" एवं अंतिम पंक्ति में Authority with effect के स्थान पर "Authority, Jabalpur with effect" पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(गोपाल श्रीवास्तव)

सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 2410/21-ब(एक), 2021

भोपाल, दिनांक 06/07/2021

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, की ओर आपके पत्र क्रमांक 506/गोपनीय/2021 दो-2-9/97 दिनांक 01.07.2021 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
- (2) विधि परामर्शी, म0प्र0 शासन भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
- (3) श्रीमती गिरीबाला सिंह, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, म.प्र.,
- (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) ACT, गुना
- (5) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (टी/एम) म0प्र0 ग्वालियर,
- (6) वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
- (7) आई.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बावत।
- (8) उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल 6 की ओर भेजकर निवेदन है कि म0प्र0 असाधारण राजपत्र भाग-एक में प्रकाशित करने हेतु। कृपया राजपत्र की 50 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।


(प्रशांत कुमार)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग


// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 02/07/2021

फा0कमांक 2410/21-ब(एक), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की धारा उप धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, म0प्र0 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री धर्मेन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) ACT, गुना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य-सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

F.No. 2410/21-B(1), In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri. Dharmendra Singh, Special Judge, SC/ST (P.A.) ACT, Guna as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(गोपाल श्रीवास्तव)


सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 2410/21-ब(एक), 2021
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 02/07/2021

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, की ओर आपके पत्र क्रमांक 506/गोपनीय/2021 दो-2-9/97 दिनांक 01.07.2021 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
- (2) विधि परामर्शी, म0प्र0 शासन भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
- (3) श्रीमती गिरीबाला सिंह, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, म.प्र.,
- (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) ACT, गुना
- (5) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (टी/एम) म0प्र0 ग्वालियर,
- (6) वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
- (7) आई.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बावत।
- (8) उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल 6 की ओर भेजकर निवेदन है कि म0प्र0 असाधारण राजपत्र भाग-एक में प्रकाशित करने हेतु। कृपया राजपत्र की 50 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।


(प्रशांत कुमार)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग